

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर
नाम पीठासीन अधिकारी - श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

प्रकरण संख्या- 2/19 राजस्व वाद

दायर दिनांक - 15.1.2019

फैसल दिनांक - 17.2.19

अनवान

- 1- श्री गोतम पिता कुरीया पटेल निवासी भचडीया पटवार हल्का टामटीया
- 2- श्रीमती कमोगी पिता श्री कुरीया पटेल निवासी भचडीया तहसील सागवाडा
(वादीगण)

बनाम

- 1- श्रीमान राजस्थानसरकार भूमिधारी मार्फत तहसीलदार सागवाडा
(प्रतिवादी)

वकील वादीगण- श्री शलेन्द्रजेन

वकील प्रतिवादी - राज0 पैरोकार

वाद अन्तर्गत धारा 125,136 एलआर एक्ट राजस्व रेकार्ड के नक्षे ट्रेस लट्ठा में सही

इन्द्राज कराने बाबत

निर्णय

वादी के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के आधिपत्य व खातेदारी की जमीन मौजा भचडीया पटवार हल्का टामटीया में जमाबन्दी संवत 2074-77 के खाता संख्या 36 के खसरा नपम्बर 143,144,145,185 / 2,186 / 2,187 / 1,190 / 3,270 / 1,335 / 2,342 / 2,454,456 / 2,561 / 4,561 / 6,573 / 1,574 / 2,591,592,593,595 / 2,613 / 1,622 / 2,623,698 / 617 व 699 / 626 की जमीन मौजा भचडीया में स्थित है। यह कि वादीगण के खातेदारी जमीन का एक नम्बर 622 / 2 जो रकबा 0.1051 हे० किस्म आबादी है जिस पर वादीगण संयुक्त रूप से काबीज है। उसी प्रकार उक्त खसरा नम्बर 622 / 2 व 622 / 1 जो पुराना साबिक नम्बर 622 होकर आज से करीब 5-6 वर्ष पूर्व आपसी सहमती से बंटवारा हुआ है जिसमें वादीगण के हिस्से में 0.1051 हे० व अन्य सहखातेदार के हिस्से में 0.0242 हे० किया गया है जिस आधार पर वादीगण व अन्य सहखातेदार काबीज है। यह कि वादीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बर का नक्षा ट्रेस की नकल पटवारी हल्का से लेने पर बताया कि वादीगण के हिस्से प्राप्त उक्त खसरानम्बर 622 / 2 रकबा के अनुसार जमीन नहीं होकर कम भाग नक्षे में इन्द्राज है परन्तु 622 / 1 की रकबा के अनुसार जमीन से ज्यादा भाग नक्षे में इन्द्राज है जो

NO

जिस अधिकारी की भूल से सहमती के बंटवारा के समय मूल खसरा नम्बर 622 के ध्य में लाईन लगाकर बराबर नक्षे में पैमुदगी कर दी है जो रकबा के अनुसार पैमुदगी होनी चाहिए थी। यह कि वादीगण द्वारा दिनांक 29.10.2018 को वादीगण के मौके के अनुसार काबिज हिस्से के सम्बन्ध में नक्षे की मांग करने पर पटवारी हल्का टामटीया ने उक्त खसरा नम्बर 622/1 व 622/2 का नक्षा ट्रेस की नकल तैयार की गई जिसमें वादीगण के हिस्से की जमीन खसरा नम्बर 622/2 व अन्य खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 622/1 के बीच में लालस्याही से लाईनींग कर प्रस्तावित खसरा नम्बर 622/1 व 622/2 लाल स्याही से लिख कर दिया है।

यह कि वादीगण के द्वारा नक्षा ट्रेस लट्टा से में खसरा नम्बर 622/2 को रकबा के अनुसार सही इन्द्राज कराने प्रतिवादी को निवेदन किया गया तो प्रतिवादी ने नक्षे ट्रेस में रेकार्ड के अनुसार इन्द्राज करने में कानूनन अडचन बताकर सक्षम न्यायालय में दावा पेश करने के लिए कहने पर दावा प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा वाद के अन्त में मौजा गांव भचडीया पटवार हल्का टामटीया तहसील सागवाडा जमाबन्दी संवत् 2074-77 के खाता संख्या 36 के खसरा नम्बर 622/2 रकबा 0.1051 है का भाग नक्षा ट्रेस लट्टा में सही पैमुदगी करने का आदेश हेतु निवेदन किया गया है।

वादी द्वारा वाद पत्र के साथ वाद पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए असल जमाबन्दी व नक्षा ट्रेस प्रस्तुत किए गए हैं।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादी की ओर से राज पैरोकार द्वारा वक्त सुनवाई उपस्थित होकर जवाब मय पर्चा मौका एवं नक्षे के जरिये क्रमांक राजस्व /2019/185 दिनांक 15.2.2019 प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी का जवाब प्रस्तुत होने पर वकील वादी ने प्रकरण में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने का निवेदन करते हुए बहस हेतु सहमती व्यक्त की गई।

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी राजपैरोकार की ओर से अपनी बहस में कैमैश: "वाद" पत्र एवं जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए बहस समाप्त की। हमने पत्रावली एवं पत्रावली तथा प्रतिवादी भूमिधारी के जवाब के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया।

खसरा नम्बर 622/1 रकबा तीन बिस्वा भूमि मौजा भचडीया पटवार हल्का टामटीया में नाथू गोकलनजी, नगजी पिता धुला, अकुडी वरजू दु. धुला, मुकेश राजू पिता डूंगर नाबा, राजू वली नाथू पिता धूला पटेल सा. देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। खसरा नम्बर 622/2 रकबा तेरह बिस्वा भूमि गोतम मोगी पिता कुरीया पटेल सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। खसरा नम्बर 622/1 एवं 622/2 आपसी सहमती के बंटवारे के पूर्व खसरा नम्बर 622 रकबा सोलह बिस्वा मौजा भचडीया में

था । नामान्तरकरण संख्या 197 द्वारा आपसी सहमती से बंटवारा होने से खसरा विभाजित होकर 622/1 रकबा 3 बिस्वा एवं 622/2 रकबा 0.13बिस्वा अलग अलग खातेदारों के नाम दर्ज हुआ । मोजा भचडीया के नक्शे लट्टे में खसरा नम्बर 622/1 रकबा तीन बिस्वा एवं खसरा नम्बर 62222 रकबा 0.13बिस्वा की पैमुदगी रेकार्ड एवं मौके के अनुसार नही होकर लगभग बराबर भागों में हुई है जो राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी एवं मौके से भिन्न रूप में पैमुद है । प्रतिवादी की ओर से उक्त आशय की वर्तमान स्थिति एवं प्रस्तावित स्थिति का नक्शा ट्रेस संलग्न कर प्रस्तुत किया है एवं बहस के दौरान उक्त प्रस्तावित स्थिति के अनुसार पैमुदगी की सहमती व्यक्त की है । इस प्रस्तावित स्थिति के अनुरूप पैमुदगी के लिए वादी भी सहमत है ।

अतः वाद वादी स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर भूमिधारी द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शे के अनुसार राजस्व रेकार्ड में सही पैमुदगी किये जाने तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है । प्रस्तावित नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा ।

निर्णय आज दिनांक 27.2.19 को खूले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फ़ैसल शुमार हो । नंबर से कम हो ।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा (राज.)
18158

डिगरी व मुकदमें इब्तदाई

(आ.20 रूल 6-7 जास्ता दीवानी)

अदालत
सागवाडा

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम सागवाडा

श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

श्री गोतम पिता कुरीया पटेल बनाम राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी

वगैरा भचडीया

तहसीलदार सागवाडा

वाद बाबत धारा 125,136 एलआर एक्ट राजस्व रेकार्ड के नक्षे ट्रेस लट्ठा

में सही इन्द्राज कराने बाबत

मुकदमा नंबर 2/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 मिनजजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार एवं डिकी किया जाकर भूमिधारी द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत प्रस्तावित नक्षे के अनुसार राजस्व रेकार्ड में सही पैमुदगी किए जाने तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है, प्रस्तावित नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिकी का अभिन्न अंग रहेगा / नीज.....

.....मुबलिग..... बाबत

खर्चा इस मुकदमें के मध्य सूदा बफ शहर फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख

वसूलयाबी तक का अदा करें ।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 27 मास 2 सन् 2019 को जारी की गई ।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राज.)
सागवाडा, वि. इ. पुर (राज.)
काड नं. 58

मुद्दई	रूपया	पै0	मुद्दायला	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा	/	/	स्टाम्प वकालतनामा	/	/
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा, वि. इ. पुर (राज.)
काड नं. 18158

मौजा- मचडीपा

प.ह. रामडीपा

न्यायालय उमरगा

कमोका/राजस्व/कोर्ट/2019/257

तहसीलदार

1) जमावदी राजस्व नवशे जदहे मे
ख.न. 622/1 व 622/2 कि दिवारी
विषय :- न्यायालय निज 1/3
प्रसंग :- इस न्यायालय

1/2

ख.न. 622

श्री
वर्ग

2) मौजे स्थिति एवं जमावदी राजस्व रेकोर्डि रकबा
अनुसार ख.न. 622/1 रकबा 1/3 एवं 622/2 रकबा 1/3
की सुव्यावित दिवारी

1/2

ख.न. 622

अकल वे राजकार्य हेतु इकेठिया
ठिया

C/S
No
681
उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा जिला इंदौर (राज.)

6/2/19
पटवारी
पटवार मण्डल
तह. सागवाड़ा, जि. इंदौरपुर (राज.)